उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा

सारण समाहरणालय, छपरा
(वन स्टॉप सेन्टर)

DDC, Saran, Chapra

E-mail id : dposaranchapra@gmail.com ***Mobile Number-9431005031***

पत्रांक– दिनांक–..................2024

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

विषय :– **दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से पालनाघर के संचालन हेतु संविदा के आधार पर रिक्त पदों के नियोजन हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– महिला एवं बाल विकास निगम का पत्रांक– WCDC/1882/23, दिनांक–09.08.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनान्तर्गत पालनाघर के संचालन हेतु विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जानी है।

अतः इच्छुक अभ्यर्थियों को उक्त पदों पर आवेदित करने हेतु इस विज्ञप्ति की दो प्रति (सी0डी0 सहित) पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध पूर्वक कहना है कि इसे कम से कम दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित कराने की कृपा करेंगे।

अनु0:– यथोक्त

विश्वासभाजन

ह0/-

उप विकास आयुक्त
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 290 / दिनांक 30/09/2024

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित। निदेश है कि दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन का कतरन वन स्टॉप सेन्टर, सारण, छपरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिले के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/09/24

उप विकास आयुक्त
सारण, छपरा।

सारण समाहरणालय, छपरा
वन स्टॉप सेन्टर
विज्ञापन संख्या–03/2024

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक–WCDC/1882/23, दिनांक–09.08.2023 के आलोक में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अन्तर्गत पालनाघर के संचालन का निदेश संसूचित है। उक्त के आलोक में एक इकाई पालनाघर का संचालन सारण समाहरणालय में तथा एक इकाई का संचालन पुलिस लाईन सारण में किया जाना है। अतएव प्रत्येक इकाई में स्वीकृत पदों के लिए संविदा आधारित नियोजन करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है जिसकी विवरणी निम्नवत् हैः–

क्रम	इकाई	पद का नाम /आरक्षण	रिक्त पदों की संख्या	उम्र	योग्यता/ अहर्ता/ अनुभव	मानदेय	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
01	पुलिस लाईन, सारण, छपरा।	क्रेच वर्कर (अनारक्षित)	01	न्यूनतम 21वर्ष, अधिकतम – 40वर्ष	**शैक्षणिक योग्यता** :– स्नातक उतीर्ण अनुभवः– बच्चों के साथ किसी भी संस्थान/ स्कूल/ आँगनबाड़ी/ प्ले स्कूल आदि से संबंधित कार्य का 03 साल का अनुभव।	14730/ प्रति माह	महिला हेतु आरक्षित
02		सहायक क्रेच वर्कर (अनारक्षित)	01	न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम – 40वष	**शैक्षणिक योग्यता** :– 12वीं पास/इन्टरमीडिएट अनुभवः– बच्चों की देख–रेख संबंधित कार्य अतनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	11640/ प्रति माह	महिला हेतु आरक्षित
03	सारण समाहरणालय, छपरा	क्रेच वर्कर (अनारक्षित)	01	न्यूनतम 21वर्ष, अधिकतम – 40वर्ष	**शैक्षणिक योग्यता** :– स्नातक उतीर्ण अनुभवः– बच्चों के साथ किसी भी संस्थान/ स्कूल/ आँगनबाड़ी/ प्ले स्कूल आदि से संबंधित कार्य का 03 साल का अनुभव।	14730/ प्रति माह	महिला हेतु आरक्षित
04		सहायक क्रेच वर्कर (अनारक्षित)	01	न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम – 40वर्ष	**शैक्षणिक योग्यता** :– 12वीं पास/इन्टरमीडिएट अनुभवः– बच्चों की देख–रेख संबंधित कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	11640/ प्रति माह	महिला हेतु आरक्षित

01. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे।
02. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रायोजन के लिए संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी।
03. संविदा के आधार पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेगे न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे।
04. विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता/कार्य अनुभव एवं अंतवीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी।
05. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
06. कर्मियों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक ही उन्हे देय होगा, इसके अतिरिक्त कर्मी अन्य किसी प्रकार के लाभ एवं सुविधा के हकदार नहीं होंगे।

07. चयनित कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए किया जायेगा तथा एक वर्ष की अवधि में प्रथम तीन माह परीक्षयमान अवधि होगी, इस अवधि में किये गये कार्य मूल्यांकन की समीक्षा के आधार पर संविदा अवधि के विस्तार के संबंध में आवश्यक निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जायेगा। साथ ही कर्मियों के कार्य अवधि का विस्तार उनके कार्य मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात् कर्मियों के अवधि विस्तार के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

08. मेधा अंक समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जायेगा। मेधा अंक एवं जन्म तिथि एक समान होने की स्थिति में लॉटरी व्यवस्था से निर्णय लिया जायेगा।

09. सभी रिक्त पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु कुल–100 अंक होंगे। जिसमें प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता पर अधिकतम 75 अंक एवं साक्षात्कार हेतु अधिकतम 25 अंक निर्धारित करते हुए अंतिम मेधा सूची का निर्माण निम्न् प्रकार किया जायेगा :–

क्रम	योग्यता	शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत		अंक की गणना	अंक
		क्रेच वर्कर (स्नातक उतीर्ण)	सहायक क्रेच वर्कर (12वीं / इंटरमीडिएट उतीर्ण)		
1	2	3		4	5
01	प्रासंगिक योग्यता	(A)		Ax75 प्रतिशत	75
02	साक्षात्कार	—		—	25
				कुल:–	100

10. <u>क्रेच वर्कर की भूमिका</u> :–

- पालनाघर के बच्चों की सुरक्षा एवं समुचित देखभाल सहायक क्रेच वर्कर के सहयोग से करने की जिम्मेवारी पूर्ण रूपेण से क्रेच वर्कर की होगी।
- पालनाघर में सुविधा के लाभ लेने वाले इच्छुक लाभार्थियों के प्रथम बार प्रवेश का निबंधन एवं प्रतिदिन बच्चों की प्रविष्टि की इन्ट्री संबंधित पंजी में करना।
- बच्चों के निबंधन के समय बच्चों से संबंधित सभी आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त कर निगम द्वारा उपलब्ध विहित प्रपत्र में अंकित करना तथा जानकारी के अनुरूप देखभाल करना।
- क्रेच वर्कर निबंधित बच्चों का पहचान पत्र तैयार करने हेतु वांछित सूचनाएं लाभुक के अभिभावकों से प्राप्त करेंगी। बच्चों को पालनाघर लाने एवं ले जाने के समय अभिभावकों को प्रदत पहचान पत्र की जाँच अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगी।
- पालनाघर के सभी पंजियों का सभी तरीका से संधारण करना।
- स्हायक क्रेच वर्कर के सहयोग से पालनाघर के बच्चों की देखभाल बच्चों के दैनिक रूटिन के अनुसार करना।
- बच्चों के आयु वर्क के अनुरूप विभिन्न संरचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से मानसिक विकास करना एवं बच्चों को प्री–स्कूल के लिए तैयार करना।
- पालनाघर की समुचित साफ–सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखना।
- पालनाघर में बच्चों के लिए किये गये सुरक्षा उपायों का नियमित रूप से प्रतिदिन निरीक्षण करना एवं इसमें किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर अविलम्ब दूर करना।

- बच्चों की सुरक्षा का पूर्णरूपेण ध्यान रखना एवं खतरों से बचाव के लिए सदैव सक्रिय रहना। किसी भी परिस्थिति में बच्चा अकेला न हो इसे सुनिश्चित करना।
- क्रेच वर्कर पालनाघर में रहने वाले बच्चों में उचित व्यवहार करने की आदत विकसित करने का कार्य करेंगी, ताकि सभी बच्चे अच्छे तरीका से रह सके।

11. सहायक क्रेच वर्कर की भूमिका :–
    - पालनाघर के कार्यावधि से पूर्व समुचित साफ–सफाई कर पालनाघर को बच्चों के लिए व्यवस्थित करना।
    - बच्चों के माताओं द्वारा दिये गये भोजन गर्म करके बच्चों के रूटिन के अनुसार खिलाने का कार्य।
    - बच्चों की साफ सफाई एवं डाईपर बदलने का कार्य।
    - पालनाघर के बच्चों की देखभाल बच्चों की दैनिक रूटिन के अनुसार करने में क्रेच वर्कर को सहयोग करेंगी।
    - बच्चों को हैण्डवास तथा टॉयलेट उपयोग करने में सहयोग एवं निगरानी।
    - बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना एवं खतरों से बचाव के लिए सदैव सक्रिय रहना। किसी भी परिस्थिति में बच्चा अकेले न हो इसे सुनिश्चित करना।
    - बच्चों को खेलने एवं सोने के समय बच्चों की निगरानी करना।
    - पालनाघर के सूचारू संचालन में क्रेच वर्कर के द्वारा दिये गये निर्देश व अनुपालन।
12. पालनाघर की गोपनीयता बनाये रखने की जिम्मेवारी क्रेच वर्कर एवं सहायक क्रेच वर्कर की होगी।
13. सरकारी अवकाश में पालनाघर बंद होने के अतिरिक्त कर्मियों को अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
14. चयन प्रक्रिया–निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों में मेधा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थियों के उनके आवेदन में उल्लेखित ई–मेल आई0डी0 एवं जिला के वेबसाईट–saran.nic.in के माध्यम से दी जायेगी। वन स्टॉप सेन्टर कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
15. विज्ञापन एवं सेवा शर्तो से संबंधित सभी अधिकार अधोहस्ताक्षरी के अधीन है। अधोहस्ताक्षरी विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते है।
16. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से **दिनांक–25.10.2024** समय–05 बजे अपराह्न तक अपना आवेदन जिला प्रोग्राम कार्यालय, आई.सी.डी.एस. में उपस्थित होकर अथवा निबंधित डाक के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। जिसमें सभी प्रमाण पत्र यथा–स्वअभिप्रमाणित रहना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

    I. विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र।
    II. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र(अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र)।
    III. अनुभव प्रमाण पत्र।
    IV. वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र) इत्यादि)
    V. उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र(मैट्रिक प्रमाण पत्र)।

17. सभी प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि या उसके पूर्व का होना अनिवार्य होगा।
18. पुलिस लाईन छपरा स्थित पालनाघर एवं समाहरणालय स्थित पालना घर, दोनो के लिए अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा।
19. एक से अधिक पदों लिए अलग–अलग आवेदन मान्य होंगे।
20. भरे हुए आवेदन एक प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
21. अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु वन स्टॉप सेन्टर, सारण समाहरणालय, छपरा, कार्यालय अथवा जिला प्रोग्राम कार्यालय, आई.सी.डी.एस. या saran.nic.in वेवसाईट का अवलोकन करते रहेंगे।

28/09/21

उप विकास आयुक्त
सारण, छपरा।

आवेदन–प्रपत्र

विज्ञापन संख्या– ....

समाहरणालय स्थित पालनाघर ☐ पुलिस लाईन स्थित पालनाघर ☐

स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

1 आवेदित पद का नाम : ....
2 अभ्यर्थी का नाम : ....
3. जन्म तिथि : ....
4 माता का नाम : ....
5 पिता / पति का नाम : ....
6 आधार कार्ड नम्बर : ....
7 स्थायी आवास का पूरा पता (जिला के नाम के साथ) : ....
....
8 पत्राचार का पता : ....
....
9 श्रेणी : सामान्य ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ अति पिछड़ा वर्ग ☐

अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ अन्य ☐

10 मोबाईल नम्बर : ....
11 ई–मेल आई.डी : ....
12 शैक्षणिक विवरणी :–

क्र0 सं0	शिक्षा	विषय	उतीर्णता का वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम
1.	मैट्रिक					
2.	इंटर					
3.	स्नातक (प्रतिष्ठा का विषय)					

13 कार्य अनुभव :–

क्र0सं0	संस्थान का नाम	पदनाम	कार्य अवधि वर्ष / माह / दिन	कार्य विवरणी
1				
2				
3				

घोषणा :– उपरोक्त सभी सूचना मेरे जानकारी के आधार पर सत्य है। यदि भविष्य में कभी कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगी एवं मेरे विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक :–

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर